

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 298 दिनांक. 30/8/2012

गत सभा दिनांक 8/8/2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक.....

क्रमांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 299 दिनांक 30-08-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु आयुक्त का पत्र क्रमांक 113 दिनांक 28-8-12, पत्र क्रमांक 111 दिनांक 28-8-12, पत्र क्रमांक 112 दिनांक 28-8-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार वर्ष 2012 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां के अन्तर्गत शहरी सौन्दर्यीकरण के दृष्टि से विजय नगर चौराहा से रेडिसन होटल तक, झोन क्रमांक 8 वार्ड क्रमांक 39 विजय नगर चौराहा से रेडिसन होटल रिंगरोड चौराहा तक, एयरपोर्ट से जेलरोड तक एवं एम.आर.-10 रोड चन्द्रगुप्त चौराहा से बापट चौराहा तक डिवाइडर ग्रीन बेल्ट पर लोहे की रेलिंग/जाली लगाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए।

3. उक्त प्रस्तावों पर चर्चा में यह स्थिति स्पष्ट हुई कि, उपरोक्त उल्लेखित स्थानों में कई जगह डिवाइडर की चौड़ाई कही कम तो कही ज्यादा है तथा सभी स्थानों पर लोहे की जाली लगाना संभव नहीं है, कुछ डिवाइडर पर पौधारोपण कर ग्रीनशीट भी लगाई जा सकती है।

4. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं उक्त चर्चा के प्रकाश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यों की सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि अधीक्षण यंत्री (उद्यान) प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण कर, उपयुक्ता तथा औचित्य के आधार पर प्राक्कलन, डिजाईन आदि तैयार कराकर निगम आयुक्त एवं महापौर से स्वीकृति प्राप्त कर अल्पकालीन निविदा जारी करें।

5. महाप्रबंधक ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, लि. (ट्राईफेस) भोपाल की ओर से इन्वेस्टर मीट के अन्तर्गत शहर सौन्दर्यीकरण के लिए आवश्यकता अनुसार संख्या में बड़े गमले बजट प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार प्रक्रिया कर, क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.09.2012

क्रमांक 773-74

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 300 दिनांक 30-08-2012

शहर के मुख्य मार्गों एवं अन्य मार्गों के पेंचवर्क के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 108/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 29-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्षाऋतु से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2012 की तैयारियां एवं शहर सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत शहर की क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों एवं अन्य मार्गों के संधारण/पेंचवर्क के लिए पैकेज क्रमांक 01 हेतु राशि रूपये 49,38,000/- एवं पैकेज क्रमांक 02 हेतु राशि रूपये 47,12,000/- के कार्य कराने की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं अल्प निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.09.2012

क्रमांक 779-80

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 301 दिनांक 30-08-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत बिचौली हप्सी के पास सिटी फॉरेस्ट बनाने की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चारों ओर बाउण्ड्री पर सीमेंट पोल लगाकर इन्टरलिंग जाली लगाने हेतु आयुक्त का पत्र दिनांक 30-8-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम को सिटी फॉरेस्ट हेतु हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण के बचाव, जानवरों के प्रवेश पर रोक तथा लगाये पौधों की सुरक्षा हेतु प्राप्त अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,90,000/- के कार्य के लिए तकनीकी/प्रशासकीय/वित्तीय एवं अल्प निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. वर्षाऋतु की शेष बची अल्प अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में 2000 पौधे जिनकी आयु 3 से 4 वर्ष हो अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर क्रय करने की स्वीकृति विभागीय बजट अन्तर्गत दी जाती है। पौधारोपण की कार्यवाही वर्तमान वर्षाऋतु में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.09.2012

क्रमांक 775-76

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 302 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 51 आजाद नगर कम्युनिटी हॉल का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 44 सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 29.08.11 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में सदर प्रकरण में अनुदान पत्रक राशि रूपये 22,78,000/-पर दिनांक 27.8.2011 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा दिनांक 29.08.11 अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता श्री रमेशचन्द्र सोनी द्वारा प्रस्तुत दर 16.10 अधिक (पी.डब्ल्यूडी.बिल्डिंग एस.ओ.आर. 15.06.09) की राशि रूपये 3,66,758/- सहित कुल आकार राशि रूपये 26,44,758/- के कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "शाला भवन का निर्माण/विस्तारीकरण" में से होगा।

3. कम्युनिटीहॉल का संचालन/संधारण हेतु प्रभारी,आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग,संबंधित झोन अध्यक्ष,क्षेत्रीय पार्षद एवं संबंधित झोनल अधिकारी की समिति का गठन किया जावे।

4. कार्य निर्धारित माणकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.09.2012

क्रमांक 781-82

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिटर
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 303 दिनांक 30-08-2012

कॉम्पेक्टर रोलर के बिल का भुगतान के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 30-08-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1872 दिनांक 22-01-2009 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार जेएनएनयूआरएम के पैकेज क्रमांक 1 के लॉट नं. 8 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संपादन हेतु मेसर्स एस्कार्टस कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट लिमिटेड, भोपाल से 3 नग कॉम्पेक्टर रोलर क्रय किए गए थे। तकनीकी अधिकारी द्वारा चेक करने पर उसमें कॉम्पेक्टर मीटर नहीं पाए गए, परन्तु कॉम्पेक्टर रोलर का उपयोग निगम वर्कशॉप द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा 3 कॉम्पेक्टर मीटर की राशि काटकर शेष राशि भुगतान किए जाने हेतु लिखा गया है। श्री असद वारसी, कंसल्टेंट द्वारा कॉम्पेक्टर रोलर में फर्म द्वारा कॉम्पेक्टर मीटर नहीं लगाए होने से 3 नग कॉम्पेक्टर मीटर के भाव प्राप्त किए जाकर प्रस्तुत किए गए हैं। तदुपरान्त प्रत्येक कॉम्पेक्टर मीटर की कीमत राशि रुपये 2.50 लाख+ $\frac{12.5}{100}$: और 2 : फार्म सी हेतु दिए गए हैं, 3 कॉम्पेक्टर मीटर की कुल कीमत रुपये $2,86,250 \times 3 = 8,58,750/-$ का कटौती 3 नग कॉम्पेक्टर मीटर आकार राशि रुपये 50,55,018/- में से काटते हुए तथा 10 : परफारमेंस राशि रुपये 5,05,502/- का भी कटौती करने हेतु लिखा गया है। फर्म एस्कार्ट कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट लि. द्वारा प्रस्तुत बिल अनुसार प्रत्येक कॉम्पेक्टर रोलर के भाव राशि रुपये 16,85,006/- के मान से 3 नग का योग आकार राशि रुपये 50,55,018/- के भुगतान आकार में से 3 नग कॉम्पेक्टर मीटर का आकार राशि रुपये 8,58,750/- एवं 10 : परफारमेंस आकार राशि रुपये 5,05,502/- का कटौती करते हुए शेष आकार राशि रुपये 36,90,766/- का भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में फर्म एस्कार्ट कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट लि. को कॉम्पेक्टर रोलर के भाव राशि रुपये 16,85,006/- प्रतिनग के मान से प्रतिनग 3 नग का योग राशि रुपये 50,55,018/- में से 3 नग कॉम्पेक्टर मीटर का आकार राशि रुपये 8,58,750/- एवं 10 : परफारमेंस राशि रुपये 5,05,502/- का कटौती करते हुए शेष राशि रुपये 36,90,766/- का नियमानुसार भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. क्रय की गई सामग्री गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.09.2012

क्रमांक 787-88

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 304 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 69 स्कीम नं. 71 डी सेक्टर में श्री जी वाटिका के पीछे शिव मंदिर वाले बगीचे के आसपास की गलियों में जनसहयोग से सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 93/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 112 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,27,966/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। 25 प्रतिशत राशि रूपये 3,31,992/- जनसहयोग से प्राप्त की जावे। इसमें होने वाला व्यय "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 833-34

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 305 दिनांक 30-08-2012

रविन्द्र नाट्य गृह व हायकोर्ट केम्पस के मध्य की दीवार का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 31/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 20.6.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति राय क्रमांक 87 दिनांक 25-6-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 326 दिनांक 7.12.11 एवं नगर शिल्पज्ञ (सिविल) का पत्र क्रमांक 113/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 30.08.12 अवलोकन किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15,92,441/- पर दिनांक 16.04.12 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. शुभ-लाभ कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत दर रूपये 12.99 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 2,06,858/-सहित कुल आकार राशि रूपये 17,99,299/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 837-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 306 दिनांक 30-08-2012

जनता क्वार्टर क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था के पुर्नउत्थान का कार्य विषयक आयुक्त का पत्र क्रमांक 4889 दिनांक 30-08-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 212 दिनांक 30-06-12 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जनता क्वार्टर क्षेत्र में जल वितरण कॉटन अड्डा टंकी से 4 संपवेल एवं 136000 ली. क्षमता की चार टंकियों के माध्यम से किया जाता है, कॉलोनी का विस्तारीकरण होने से जल प्रदाय की मात्रा क्षेत्र में कम हो गई, साथ पुरानी टंकियां भी जर्जर हो चुकी है जो कभी भी गिर सकती है, उक्त स्थिति के दृष्टिगत रखते हुए जनता क्वार्टर में जल वितरण व्यवस्था के पुर्नउत्थान के अन्तर्गत 3000 कि.ली. क्षमता एवं 20 मीटर शीर्ष के टंकी निर्माण, विभिन्न व्यास की जल वितरण पाइप लाइन, 500 एम.एम. व्यास की ट्रंकमेन बिछाने, वाल्व चेंबर निर्माण कार्य बाउंड्रीवॉल एवं टंकी परिसर के विकास कार्य सहित अन्य निर्माण के लिए अनुमानित प्राक्कलन राशि रूपये 550.00 लाख के कार्य की नियमानुसार निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 853-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 307 दिनांक 30-08-2012

गणेशोत्सव समारोह हेतु निगम अनुदान देने के संबंध में विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 2874 दिनांक 24-08-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त गणेशोत्सव समिति के निर्णय व अनुशंसानुसार प्राचीन परम्परा अनुसार गणेशोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम व मनोहरी, नयनाभिराम झोंकियों के निर्माण व चल समारोह व्यवस्था हेतु राशि रूपये 10 लाख का अनुदान देने की स्वीकृती निगम परिषद् स्वीकृति की प्रत्याश मे दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "गणेश विसर्जन झांकी हेतु निगम अंशदान" एवं "मेयर-इन-कौंसिल के अधिकार में आकस्मिक व्यय के लिये राशि" में से होगा।

3. गणेशोत्सव समारोह हेतु पार्षदों एवं निगम अधिकारियों/कर्मचारियों/कामगारों से लिये जाने वाली सहयोग राशि का कटौती नहीं किया जावे।

प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद् के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 815-16

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 308 दिनांक 30-08-2012

जे.एन.एन.यूआर.एम. के अन्तर्गत निर्मित होने वाली आवासीय ईकाईयों में लागत वृद्धि से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9271/जेएनएनयूआरएम/2012 दिनांक 23-08-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 126 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार जेएनएनयूआरएम योजना अन्तर्गत बीएसयूपी द्वितीय चरण में 3000 इकाईयों हेतु राशि रूपये 8154.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 3000 में से वर्तमान में 2024 इकाईयों ही बन रही है। इकाईयों की वर्तमान लागत की गणना की गई है जो कि लगभग राशि रूपये 3.64 लाख प्रति इकाई तक आती है। इसी क्रम में बड़ा बागड़दा में हो रहे 1144 क्वार्टरों के निर्माण कार्य में कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर तथा मौके पर कराए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन डिजाईन कंसलटेंट मेसर्स मेहता एसोसिएट्स द्वारा दिया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर निरीक्षण उपरान्त प्राप्त निर्देश के अनुसार अंतिम लागत की गणना की गई है, जो लगभग राशि रूपये 4165.97 लाख होती है। पूर्व में बड़ा बागड़दा में 1144 इकाईयों हेतु राशि रूपये 3611.00 लाख की निविदा स्वीकृत की गई है। निविदा अनुसार राशि रूपये 3559.25 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एमआईसी द्वारा गई है। कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में मुख्यतः विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा भी पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार सहमति दी है। अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से कम है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन के वता डंददनंस की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन 10 प्रतिशत अधिक बढ़ने से सक्षम स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन होने तथा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार की अनुशांसा अनुसार अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से कम होने तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन के वता डंददनंस की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन राशि रूपये 4165.97 लाख (एस्केलेशन अतिरिक्त) की स्वीकृति दी जाती है।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 865-66

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 309 दिनांक 30-08-2012

जे.एन.एन.यूआर.एम. के अन्तर्गत निर्मित होने वाली आवासीय ईकाईयों में लागत वृद्धि से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9261/जेएनएनयूआरएम/2012 दिनांक 23-08-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 128 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार जेएनएनयूआरएम योजना अन्तर्गत बीएसयूपी द्वितीय चरण में 3000 इकाईयों हेतु राशि रूपये 8154.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 3000 में से वर्तमान में 2024 इकाईयों ही बन रही है। इकाईयों की वर्तमान लागत की गणना की गई है जो कि लगभग राशि रूपये 3.45 लाख प्रति इकाई तक आती है। इसी क्रम में नैनोद में हो रहे 968 क्वार्टरों के निर्माण कार्य में कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर तथा मौके पर कराए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन डिजाईन कंसलटेंट मेसर्स मेहता एसोसिएट्स द्वारा दिया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर निरीक्षण उपरान्त प्राप्त निर्देश के अनुसार अंतिम लागत की गणना की गई है, जो लगभग राशि रूपये 3035.46 लाख होती है। पूर्व में नैनोद में 968 इकाईयों हेतु निविदा दर अनुसार राशि रूपये 2699.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत एमआईसी द्वारा दी गई है। वर्तमान में स्थल पर 880 इकाईयों का ही निर्माण हो पाया है, शेष 88 इकाईयों हेतु प्रस्तावित भूमि विवादित होने से निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। तदनुसार ही प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में मुख्यतः विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा भी पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार सहमति दी है। अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से कम है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन के वता डंददंस की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन 10 प्रतिशत अधिक बढ़ने से सक्षम स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन होने तथा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार की अनुशांसा अनुसार अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से कम होने तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन के वता डंददंस की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन राशि रूपये 3035.46 लाख (एस्केलेशन अतिरिक्त) की स्वीकृति दी जाती है।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 863-64

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 310 दिनांक 30-08-2012

किला मैदान स्थित शासकीय कन्या मा. विद्यालय क्रमांक 20 शाला भवन का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 84/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 29-06-2012 पर प्रभारी शिक्षा समिति की राय दिनांक 29-06-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 97,60,000/-की दिनांक 14-05-2012 को प्राप्त 04 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता श्री नीरजसिंह कुशवाह द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रूपये 4.11 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 4,01,136/- सहित कुल आकार राशि रूपये 1,01,61,136/-के कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 857-58

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 311 दिनांक 30-08-2012

वित्तीय वर्ष 2012 – 2013 में विभिन्न बजट मदों में प्राप्त प्रस्तावों के कारण राशि की कमी को दृष्टिगत रखते हुवे विभिन्न मदों में राशि रूपये 35.00 करोड का पुनर्विनियोग मदों में करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 122/सी.ई./बिल्स/2012-13 दिनांक 30-08-12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में विभिन्न बजट मदों में प्राप्त प्रस्तावों के कारण राशि की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मदों में राशि रूपये 35.00 करोड का पुनर्विनियोग कर राशि अन्तरित करने की स्वीकृति निम्नानुसार दी जाती है:-
(लाखों में)

अनु. क्र.	बजट मद का नाम जिसमें से राशि अन्तरित कर कम की जाना है।	बजट मद में प्रावधानित राशि	बजट मद में कम की जाने वाली राशि	बजट मद का नाम जिसमें राशि अन्तरित कर वृद्धि की जाना है।	बजट मद में वृद्धि की जाने वाली राशि	
1	2	3	4	5	6	7
	4103002 महापौर वार्ड समिक्षा अभियान पर व्यय	500.00	200.00	2303099 सार्वजनिक स्थानों/सडकों के किनारे संधारण कार्य/पेव्हर ब्लॉक इत्यादि	200.00	
	4108009 यशवंत सागर डेम का सौन्दर्यीकरण/सिविल कार्य	200.00	100.00	4102005 शाला भवन निर्माण/विस्तारीकरण	200.00	
	4103010 सडक के निर्माण पर व्यय (फीडर चरण 3)	2500.00	1000.00	4103001 झोनल सडकों का सीमेन्टीकरण	700.00	
	4103012 सडकों के निर्माण पर व्यय(लिक रोड प्रथम चरण)	1500.00	1000.00	4103034 जनसहयोग से सडकों का निर्माण (निगम अंशदान)	700.00	
	4103037 लिक रोड का विकास (द्वितीय चरण)	1500.00	1000.00	4103036 शहरी गरीब/सफाई कर्मचारी/ पिछडी बस्तियों में सडकों पर व्यय	300.00	
	4108006 नये स्वीमिंग पुलों का निर्माण	500.00	200.00	4103097 मुख्य सडकों का सीमेटीकरण	300.00	
				4103102 झोनल सडकों के पानी निकासी हेतु गटरों का निर्माण (बाण्ड रोड के अलावा)	600.00	
				4108052 शहरी गरीब/अ.ज.जा./क्षेत्रों का विकास पर व्यय	400.00	
				2305002 सडकों का संधारण	100.00	
	कुल राशि	6700.00	3500.00	कुल राशि	3500.00	

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 817-18

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 312 दिनांक 30-08-2012

प्रोजेक्ट उत्थान के अन्तर्गत मलिन बस्ती नंदबाग के अधोसंरचना विकास कार्य हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए टेण्डर जारी करने की अनुमति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 407 डी.एफ.आय.डी./12 दिनांक 29.08.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेख अनुसार मलिन बस्ती नंदबाग अधोसंरचना विकास कार्य हेतु 7.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति परियोजना संचालक सह आयुक्त के पत्र क्रमांक एमपीयूसपी/इंजी/2012/487, भोपाल, दिनांक 31.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु मे. युनीसन प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट प्रा.लि. डिजाईन एवं सुपरविजन कंसलटेन्ट पुणे द्वारा वर्तमान में प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 10.05.2012 पर बी.ओ.क्यू. के मात्रा 8.07 करोड़ रुपये की तैयार की गई है, जिसे नगर शिल्पज्ञ प्रोजेक्ट उत्थान के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य में निम्नानुसार घटक है:-

क्र.	घटक का नाम	राशि
1.	जल प्रदाय	1,01,23,774.00
2.	सीवर कार्य	2,60,91,012.00
3.	सीमेन्ट कांक्रीट रोड़	4,45,01,075.00
	कुल	8,07,15,861.00

अतिरिक्त लागत 1.04 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रोजेक्ट उत्थान से वित्त पोषण करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में यह राशि नगर पालिक निगम के द्वारा वहन की जावेगी। नंदबाग मलिन बस्ती ग्राम पंचायत छोटा बांगडदा में आती है। जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। कार्यालय ग्राम पंचायत छोटा बांगडदा, इन्दौर द्वारा नंदबाग मलिन बस्ती में नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाने पर अनापत्ति पत्र क्रमांक क्यू/012 दिनांक 13.08.2012 से सरपंच एवं सचिव से हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रोजेक्ट की समय सीमा दिसम्बर 2012 तक होने से इस कार्य हेतु दिसम्बर 2012 तक के किए जाने वाले भुगतान एम.पी.यू. एस.पी. /डी.एफ.आय.डी. मद से किये जावेंगे एवं दिसम्बर 2012 पश्चात होने वाले भुगतान निगम मद से किया जाना होगा। प्रकरण में कार्य हेतु प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए अल्पकालिन निविदा निकाले जाने की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नंदबाग मलिन बस्ती ग्रामीण पंचायत क्षेत्र छोटा बांगडदा में होने से परियोजना संचालक सह आयुक्त के पत्र क्रमांक एमपीयूसपी/इंजी/2012/487, भोपाल, से प्राप्त स्वीकृति तथा ग्राम पंचायत छोटा बांगडदा से प्राप्त अनापत्ति पत्र एवं म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 95 के प्रावधान्तर्गत मलिन बस्ति नंदबाग (छोटा बांगडदा पंचायत क्षेत्र) में अधोसंरचना विकास कार्य हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. दर दिनांक 10.05.12 अनुसार प्राकलन राशि रुपये 8.07 करोड़ की प्रशासकीय, तकनीकी एवं अल्पकालीन निविदा जारी करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 855-56

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 313 दिनांक 30-08-2012

शहर के प्रमुख मार्गों/फीडर रोड पर सेन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 965 दिनांक 25-07-12 पर जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया। निगम प्रस्ताव क्रमांक 56 दिनांक 19-08-2011 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 56 दिनांक 19-08-2011 द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 25 कि.मी. लम्बाई में सेन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य मेसर्स एन.के. इलेक्ट्रिकल्स से कराने की राशि रुपये 6,27,12,500/- की स्वीकृति प्रदाय की गई। उक्त स्वीकृति के क्रम में 9 स्थानों पर 22 कि.मी. में कुल राशि रुपये 5,22,24,456/- का कार्य सम्पन्न किया गया एवं धार रोड पर सेन्ट्रल लाईटिंग लगाने का कार्य प्रचलित है जिस पर लगभग राशि रुपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है। उक्त क्रियान्वित कार्यों के पुष्टि एवं स्वीकृत राशि में से लगभग शेष बचत राशि रुपये 24.00 लाख से बड़वानी प्लाजा से पत्रकार कालानी चौराहा होते हुए संविद नगर तिराहे तक तक सेन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम प्रस्ताव क्रमांक 56 दिनांक 19-08-2011 से शहर के विभिन्न स्थानों पर सेन्ट्रल लाईटिंग प्रकाश व्यवस्था कार्य हेतु स्वीकृत राशि रुपये 6,27,12,500/- में से कराये गये कार्यों की पुष्टि तथा उक्त स्वीकृत राशि में से संभावित शेष बचत राशि रुपये 24.00 लाख से बड़वानी प्लाजा से पत्रकार कालानी चौराहा होते हुए संविद नगर तिराहे तक तक सेन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था का कार्य मेसर्स एन. के. इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्तुत पूर्व स्वीकृत दर पर कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 835-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 314 दिनांक 30-08-2012

मिश्रीलाल गंगवाल बस स्टेण्ड धार रोड़ का रिपेयरिंग एवं नवीनीकरण कार्य करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 99/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 116 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 10,60,000/- के कार्य प्रशासकीय स्वीकृति एवं आमंत्रित की गई अल्प निविदा की पुष्टि की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 831-32

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 315 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 50 राम नगर के कविता स्टोर से नाले तक जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 101/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 120 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 15,12,300/- की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त में से राशि रूपये राशि रूपये 7,48,800/- की 2496 सीमेंट बेग जनसहयोग से प्राप्त की जावे। राशि रूपये 7,63,500/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 823-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 316 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 08 वार्ड क्रमांक 40 आय.डी.ए. स्कीम नं. 94 सेक्टर ई.डी. म.नं. 251 से 271 तक जनसहयोग से सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 96/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 113 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,87,000/- की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। राशि रूपये 2,77,400/- जनसहयोग से प्राप्त किये जावे। इसमें होने वाला व्यय "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 827-28

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 317 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 69 प्रजापत नगर में (उत्कर्ष विहार) गुरुकुल स्कूल के पीछे वाले मार्ग का जनसहयोग से सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 92/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 117 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 13,17,747/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। 25 : राशि रूपये 3,29,437/- जनसहयोग प्राप्त की जावे। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 829-30

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 318 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 69 स्कीम नं. 71 से डी सेक्टर श्री जी वाटिका से रद्दी वाले तक के मेनरोड का जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 94/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 121 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 12,30,868/- में से राशि रूपये 2,46,174/- जनसहयोग से प्राप्त होगी अर्थात् राशि रूपये 12,30,868/- की प्रशासकीय एवं राशि रूपये 9,84,694/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 825-26

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 319 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 13 वार्ड क्रमांक 56 संत नगर मेनरोड एवं साईड की रोड का जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 95/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 118 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,62,211/- में से 2575 बैग सीमेंट जनसहयोग की राशि रूपये 5,92,250/-की प्राप्त होगी अर्थात् राशि रूपये 14,54,461/- की प्रशासकीय एवं राशि रूपये 8,62,211/-की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 841-42

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 320 दिनांक 30-08-2012

रविन्द्र नाट्य गृह परिसर में स्थित टूरिस्ट बंगलों का रिपेरिंग/नवीनीकरण आयुक्त क्रमांक 98/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 114 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 10,24,000/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 843-44

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 321 दिनांक 30-08-2012

निगम मुख्यालय एवं झोनल कार्यालय व राजस्व काउन्टरों पर डॉटमेट्रीक प्रिन्टर लगाने के संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 23-08-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त की अनुशंसा के प्रकाश में निगम मुख्यालय एवं झोनल कार्यालयों के राजस्व काउन्टरों पर नवीन प्रिन्टर लगाये जाने हेतु दिनांक 12-06-2012 को आमंत्रित अल्प निविदा की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 819-20

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 322 दिनांक 30-08-2012

सरवटे बस स्टेण्ड का रिपेयरिंग एवं नवीनकरण कार्य करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 90/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 119 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 25,00,000/- के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं आमंत्रित की गई अल्प निविदा की पुष्टि की जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 839-40

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 323 दिनांक 30-08-2012

पलासिया हरिजन कालोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 91/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 115 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 63,10,000/- की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। कार्य में लगने वाली राशि आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त की जावे।

3. भवन को भूतल तक तोड़कर इसके मलबे का नियमानुसार विक्रय से प्राप्त होने वाली अधिकतम धनराशि निगम में जमा की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 847-48

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 324 दिनांक 30-08-2012

परिषद् की बजट बैठक में कराई गई व्यवस्था के बिल भुगतान की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 264 दिनांक 17.07.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2012 को आयोजित परिषद् की बजट बैठक में कराई गई व्यवस्थाओं एवं बजट प्रिंटिंग के देयक राशि रुपये 11,48,594/- का नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 821-22

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 325 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 54 के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में पंजाब स्वीट्स से फीडर रोड तक जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 102/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 111 दिनांक 13-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 45,88,920/- की प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। 10 प्रतिशत सीमेंट राशि रूपये 4,58,892/- जनसहयोग से प्राप्त की जावे। इसमें होने वाला व्यय "जनसहयोग से सड़कों का निर्माण (निगम अंशदान)" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 849-50

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 326 दिनांक 30-08-12

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 19.01.12 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/12 दिनांक 23/01/2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 15 के वार्ड क्रमांक 10 में 10, वार्ड क्रमांक 66 में 10, वार्ड क्रमांक 67 में 10, वार्ड क्रमांक 68 में 15, वार्ड क्रमांक 69 में 20 इस प्रकार कुल 65 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 अनुसार झोन क्रमांक 06 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक. 11.09.2012

क्रमांक 793-94

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 327 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 190 दिनांक 16-12-2011 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 5/6 दिनांक 23-01-2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 14 के वार्ड क्रमांक 55 में 10, वार्ड क्रमांक 59 में 15, वार्ड क्रमांक 60 में 15, वार्ड क्रमांक 62 में 10 एवं वार्ड क्रमांक 63 में 10 इस प्रकार कुल 60 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 14 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 795-96

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 328 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 562 दिनांक 07-01-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 5/5 दिनांक 23-01-2012 द्वारा की गई अनुशांसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 13 के वार्ड क्रमांक 52 में 10, वार्ड क्रमांक 56 में 10 वार्ड क्रमांक 57 में 15, वार्ड क्रमांक में 58 में 20 एवं वार्ड क्रमांक 61 में 25 इस प्रकार कुल 80 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 13 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे। वार्ड 58 एवं 61 में लगाये गये सफाई कर्मियों का भी समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक. 11.09.2012

क्रमांक 797-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 329 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 491 दिनांक 23-12-2011 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/8 दिनांक 21-02-2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 11 के वार्ड क्रमांक 46 में 10, वार्ड क्रमांक 49 में 15, वार्ड क्रमांक 50 में 20, वार्ड क्रमांक 51 में 15 एवं वार्ड क्रमांक 53 में 15 इस प्रकार कुल 75 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 11 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 799-800

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 330 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 537 दिनांक 20-01-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/16 दिनांक 21-02-2012 द्वारा की गई अनुशांसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 10 के वार्ड क्रमांक 43 में 10, वार्ड क्रमांक 45 में 10, वार्ड क्रमांक 47 में 10, वार्ड क्रमांक 48 में 15 इस प्रकार कुल 45 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 अनुसार झोन क्रमांक 10 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 801-02

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 331 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 423 दिनांक 21-02-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/14 दिनांक 21-02-2012 द्वारा की गई अनुशांसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 09 के वार्ड क्रमांक 27 में 10, वार्ड क्रमांक 29 में 10, वार्ड क्रमांक 30 में 10, वार्ड क्रमांक 44 में 10 इस प्रकार कुल 40 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 09 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 803-04

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 332 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 614 दिनांक 17-02-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/15 दिनांक 22-02-2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 06 के वार्ड क्रमांक 26 में 15, वार्ड क्रमांक 28 में 10 वार्ड क्रमांक 31 में 10 एवं वार्ड क्रमांक 32 में 15 इस प्रकार कुल 50 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 06 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 805-06

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 333 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 356 दिनांक 14.12.11 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/13 दिनांक 23/01/2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 05 के वार्ड क्रमांक 23 में 20, वार्ड क्रमांक 25 में 05, वार्ड क्रमांक 34 में 15, वार्ड क्रमांक 35 में 15 इस प्रकार कुल 55 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 अनुसार झोन क्रमांक 05 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 807-08

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 334 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 351 दिनांक 05-01-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/7 दिनांक 21-02-2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 03 के वार्ड क्रमांक 15 में 10, वार्ड क्रमांक 17 में 10 एवं वार्ड क्रमांक 24 में 25, वार्ड क्रमांक 13 में 10 एवं वार्ड क्रमांक 14 में 10, इस प्रकार कुल 65 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 03 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 809-10

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 335 दिनांक 30-08-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 491 दिनांक 23.12.11 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/11 दिनांक 23/01/2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 02 के वार्ड क्रमांक 06 में 06, वार्ड क्रमांक 7 में 10, वार्ड क्रमांक 08 में 10, वार्ड क्रमांक 9 में 10, वार्ड क्रमांक 16 में 15 इस प्रकार कुल 51 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 02 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 811-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 336 दिनांक 28-02-2012

सफाई कार्य हेतु मस्टर पर सफाई संरक्षक की नियुक्ति के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 1399 ए दिनांक 30-08-2012 पर प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की राय दिनांक 30-08-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त वार्ड समिति के प्रस्ताव क्रमांक 2875 दिनांक 30-01-2012 एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 6/9 दिनांक 21-02-2012 द्वारा की गई अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित झोन क्रमांक 12 के वार्ड क्रमांक 11 में 10, वार्ड क्रमांक 12 में 10, वार्ड क्रमांक 54 में 10, वार्ड क्रमांक 64 में 10 एवं वार्ड क्रमांक 65 में 10 इस प्रकार कुल 50 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 06 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पूर्व में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक क्रमांक 248 दिनांक 28.07.12 की स्वीकृति अनुसार झोन क्रमांक 12 पर 30 सफाई कर्मियों की दी गई स्वीकृति दिनांक 31 अगस्त 2012 तक ही प्रभावशील होकर तत्पश्चात समाप्त मानी जावेगी अर्थात् 30 सफाई कर्मियों को उपरोक्त स्वीकृति में समावेश किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 11.09.2012

क्रमांक 813-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिटर
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 337 दिनांक 30-08-2012

स्वास्थ्य विभाग हेतु छोटे चार पहिया वाहन नग 15 क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 564 दिनांक 30-8-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 363 दिनांक 20-01-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं प्रभारी स्वास्थ्य चिकित्सा समिति की अनुशंसा के प्रकाश में स्वास्थ्य विभाग के लिए छोटे चार पहिया वाहन, सांसद/विधायक निधि से (कचरा परिवहन वाहन क्रय हेतु) प्राप्त होने वाले आवंटन तथा निगम निधि से 15 नग महिन्द्रा "मेक्सीमों" एम.आई.सी. संकल्प क्रमांक 363 दिनांक 20-01-2012 से स्वीकृत दर पर नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 12.09.2012

क्रमांक 845-46

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 338 दिनांक 30-08-2012

फायर ब्रिगेड निर्माण हेतु फेब्रीकेशन कार्य संबंधी निविदा आमंत्रण की पुष्टि करने के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 366 दिनांक 07-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शासन के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के फलस्वरूप "आग की रोकथाम" विषय गृह विभाग से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित अर्थात् शासन निर्देशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अग्निशमन सेवा, इन्दौर से प्राप्त हुए 15 नग आयशर चेसिस से फायर ब्रिगेड वाहन तैयार करने हेतु फेब्रीकेशन कार्य के लिए ई-टेण्डर प्रणाली के अनुसार दिनांक 12-06-2012 को जारी की गई के क्रम में निविदा आमंत्रण पुष्टि की जाती है। फेब्रीकेशन कार्य के लिये आवश्यक अनुदान नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 4.09.2012

क्रमांक 885-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 339 दिनांक 30-08-2012

6 नवीन विद्युत पोलो पर कि-ऑस्क विज्ञापन बोर्ड को निविदा में सम्मिलित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 402 दिनांक 23-05-2012 पर राजस्व समिति की राय क्र. 26 दिनांक 24-05-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं प्रभारी राजस्व समिति की अनुशंसा के प्रकाश में शहर के निम्नांकित मार्गों के मध्य लगे नवीन विद्युत पोलो पर कि-ऑस्क विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

- | | |
|--|----------------|
| 1. वी.आय.पी. रोड़ एयरपोर्ट से भण्डारी मिल चौराहा | पोल संख्या 234 |
| 2. रेसकोर्स रोड़ | पोल संख्या 63 |
| 3. ग्रेटर कैलाश रोड़ | पोल संख्या 23 |
| 4. फूटी कोठी से महुनाका चौराहे तक | पोल संख्या 64 |
| 5. सपना-संगीता रोड़ | पोल संख्या 44 |
| 6. स्कीम नं. 74 व 78 के बीच वाले रोड़ तक | पाले संख्या 57 |

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 875-76

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 340 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 43 मित्र बंधु नगर के अन्तर्गत सेक्टर बी.म.न. 45 से 77 तक जनसहयोग से सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 76/सी. ई. 0/बिल्स/12-13 दिनांक 29.6.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,14,580/- के कार्य कराने की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग के रूप में अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,14,580/- में से 15 प्रतिशत जनसहयोग की राशि रूपये 1,67,187/- प्राप्त की जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 887-88

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 341 दिनांक 30-08-2012

जे.एन.एन.यूआर.एम. के अन्तर्गत निर्मित होने वाली आवासीय ईकाईयों में लागत वृद्धि से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9241/जेएनएनयूआरएम/2012 दिनांक 23-08-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 127 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार जेएनएनयूआरएम योजना अन्तर्गत बीएसयूपी प्रथम चरण में 4132 इकाईयों हेतु राशि रुपये 6192.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 4132 में से वर्तमान में 1916 इकाईयों ही बन रही है। इकाईयों की वर्तमान लागत की गणना की गई है जो कि लगभग राशि रुपये 3.50 लाख प्रति इकाई तक आती है। इसी क्रम में अहीरखेड़ी में चल रहे 1144 क्वार्टरों के निर्माण कार्य में कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर तथा मौके पर कराए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन डिजाईन कंसलटेंट मेसर्स मेहता एसोसिएट्स द्वारा दिया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर निरीक्षण उपरान्त प्राप्त निर्देश के अनुसार अंतिम लागत की गणना की गई है, जो लगभग राशि रुपये 3997.51 लाख होती है। पूर्व में अहीरखेड़ी में 1144 इकाईयों हेतु राशि रुपये 25.28 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एमआईसी द्वारा गई है। कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में मुख्यतः विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा भी पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार सहमति दी है। अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु **MPPWD ds Work Mannual** की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन 10 प्रतिशत अधिक बढ़ने से सक्षम स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन होने तथा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार की अनुशंसा अनुसार अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने से पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डच्चक के वता डंददंस की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन राशि रुपये 3997.51 लाख (एस्केलेशन अतिरिक्त) की स्वीकृति एवं समय-सीमा स्वीकृत दिनांक से 9 माह तक बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 859-60

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 342 दिनांक 30-08-2012

जे.एन.एन.यूआर.एम. के अन्तर्गत निर्मित होने वाली आवासीय ईकाईयों में लागत वृद्धि से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 9251/जेएनएनयूआरएम/2012 दिनांक 23-08-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 125 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार जेएनएनयूआरएम योजना अन्तर्गत बीएसयूपी प्रथम चरण में 4132 इकाईयों हेतु राशि रुपये 6192.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 4132 में से वर्तमान में 1916 इकाईयों ही बन रही है। इकाईयों की वर्तमान लागत की गणना की गई है जो कि लगभग राशि रुपये 3.97 लाख प्रति इकाई तक आती है। इसी क्रम में भीम नगर में हो रहे 228 क्वार्टरों के निर्माण कार्य में कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर तथा मौके पर कराए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन डिजाईन कंसलटेंट मेसर्स मेहता एसोसिएट्स द्वारा दिया गया है। पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर निरीक्षण उपरान्त प्राप्त निर्देश के अनुसार अंतिम लागत की गणना की गई है, जो लगभग राशि रुपये 874.12 लाख होती है। पूर्व में भीम नगर में 256 इकाईयों हेतु राशि रुपये 643.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत एमआईसी द्वारा दी गई। कंसलटेंट द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में मुख्यतः विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में आयुक्त द्वारा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा भी पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार सहमति दी है। अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से अधिक है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन 10 प्रतिशत अधिक बढ़ने से पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं समय सीमा स्वीकृत दिनांक से 9 माह तक बढ़ाने की सक्षम स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में विद्युतीकरण में एमपीईबी के मानक अनुसार बढ़ौत्री होने लोहा, फिलिंग, खुदाई, पेंटिंग कार्य में भी परिवर्तन होने तथा आरसीसी की मात्रा एवं स्ट्रक्चर डिटेल में बढ़ौत्री के कारण लागत में परिवर्तन होने तथा गठित वेरिफेशन कमेटी द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन में परीक्षण उपरान्त प्रोजेक्टवार की अनुशांसा अनुसार अनुबंध की कंडिका (13) अनुसार किये गये कार्य की पुनरीक्षित लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु डेडलिन की कंडिका 2.131 अनुसार प्राक्कलन राशि रुपये 874.12 लाख (एस्केलेशन अतिरिक्त) की स्वीकृति तथा समय-सीमा स्वीकृत दिनांक से 9 माह तक बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 343 दिनांक 30-08-2012

शहर सौन्दर्यीकरण हेतु नवीन विज्ञापन नीति के सलाहकार की नियुक्ति हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 22.05.2012 के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 613 दिनांक 23-06-2012 पर राजस्व समिति की राय क्र. 36 दिनांक 17-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में शहर सौंदर्यीकरण हेतु नवीन विज्ञापन नीति के लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 22-05-12 को आमंत्रित निविदा में एक ही निविदा प्राप्त होने से निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 869-70

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. फा.1।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 344 दिनांक 30-08-2012

इन्दौर नगर पालिक निगम,मस्टर कर्मचारी संगठन हेतु निगम प्रांगण में कमरा उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 2122 दिनांक 02-03-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में इन्दौर नगर पालिक निगम,मस्टर कर्मचारी संगठन हेतु निगम प्रांगण में कमरा उपलब्ध कराने के संबंध में स्थान उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 345 दिनांक 30-08-2012

सफाई कामगार संघ के कार्यालय हेतु निगम प्रांगण में कमरा उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त क्रमांक 826/सी.ई./सिवील दिनांक 06-03-12 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2620 दिनांक 14-05-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सफाई कामगार संघ के कार्यालय हेतु निगम प्रांगण में कमरा उपलब्ध कराने के संबंध में स्थान उपलब्धता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 877-78

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं.-फा.-1
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 346 दिनांक 30-08-2012

शासकीय शारदा कन्या मा. विद्यालय क्रमांक 01 बड़ा गणपति के पुराने भवन को तोड़कर नवीन शाला भवन का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 109/सी.ई./बिल्स/11-12 दिनांक 30-8-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 34,26,000/- के कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 4102005 "शाला भवन निर्माण/विस्तारीकरण" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 881-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 347 दिनांक 30-08-2012

शास्त्री ब्रिज पर स्ट्रीट लाईट प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1538 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य वर्तमान बाजार से तैयार किये गये अनुमान पत्रक राशि रूपये 49,50,975/- की ई-टेण्डर के माध्यम से दिनांक 09-08-2012 को प्राप्त 04 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. एन.के. इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 10.8 प्रतिशत कम अर्थात् राशि रूपये 44,16,270/- पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 894

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त -सं. फाईल-1
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 348 दिनांक 30-08-2012

झोन क्रमांक 8,11 एवं वार्ड क्रमांक 39,48 रेडिसन होटल चौराहा, पिपल्याहाना चौराहा, निरंजनपुर ए.बी. रोड चौराहा एवं पिपलिया कुमार चौराहा रिंग रोड पर हायमास्ट स्थापित कर प्रकाश व्यवस्था के संबंध आयुक्त का पत्र क्रमांक 995 दिनांक 28-07-12 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रुपये 37.74 लाख की ई-टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 30-05-2012 को प्राप्त 02 निविदाओं निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दर दाता मेसर्स एन.के.इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बाजार भाव पर तैयार किये गये अनुमान पत्रक से 0.27 प्रतिशम कम अर्थात् राशि रुपये 37,63,493/- पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 897-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. फाईल-1।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 349 दिनांक 30-08-2012

विज्ञापन कर वृद्धि के संबंध में राजस्व समिति की राय दिनांक 29-08-12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त राजस्व समिति की अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में राजस्व आय में वृद्धि के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में शहर में स्थापित निजी भूमि पर लगे विज्ञापन होर्डिंग से विज्ञापन कर की दर राशि रूपये 85/- प्रति वर्गफूट प्रतिवर्ष में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 100 प्रति वर्गफूट प्रतिवर्ष एवं निगम भूमि/भवन पर लगे होर्डिंग्स से विज्ञापन कर की दर राशि रूपये 100/- प्रति वर्गफूट प्रतिवर्ष में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 115/- प्रति वर्गफूट प्रतिवर्ष की प्राप्त करने की स्वीकृति निगम स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 873-74

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 350 दिनांक 30-08-2012

प्रोजेक्ट उत्थान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए निगम के बैलेंस शीट का अनुमोदन के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 131/डी.एफ.आय.डी./12 दिनांक 01-06-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रोजेक्ट उत्थान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए तैयार की गई बैलेंस शीट का अनुमोदन किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक. 14.09.2012

क्रमांक 895-96

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त । सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 351 दिनांक 30.08.12

तीन दिवसीय आंतर भारती राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव 2011 के लिये अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक.1777 दिनांक 30.1.12 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2553 दिनांक 15.3.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई गई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में आंतर भारती राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव को दिनांक 25, 26 एवं 27 दिसंबर 2011 को तीन दिवसीय बाल आनंद महोत्सव 2011 हेतु राशि 10,000/- (अक्षरी रूपये दस हजार रूपये मात्र) का अनुदान बजट मद क्रमांक 2208010 आर्थिक सहायता/अनुदान में से देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा मध्य प्रदेश न. पा. नि. अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बने मध्य प्रदेश न.पा (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार दी जाती है ।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे ।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 867-68

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 352 दिनांक 30-08-2012

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत इन्दौर के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों के संबंध में आयुक्त क्रमांक 1171 दिनांक 31-07-12 पर जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि रूपये 20.00 करोड़ की राशि से स्लम बस्तियों में सीवरेज लाईन डालने के क्रम में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत कार्यरत ऐजेन्सी मेनहर्ट के माध्यम से कराये गये भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे में बस्तियों का क्षेत्रफल, मकानों की संख्या, क्षेत्रीय जनसंख्या एवं आगामी 30 वर्षों की जनसंख्या के आकलन उपरान्त बस्ती गौरी नगर, न्यू गौरीनगर, मयूर नगर एवं भागीरथपुरा में सीवरेज लाईन डालने हेतु ड्राईंग एवं डिजाईन एवं प्रथम चरण में संभावित व्यय प्राक्कलन राशि रूपये 12.05 करोड़ के कार्य हेतु पृथक-पृथक बस्ती वार्डज तकनीकी एवं प्रशासकीय व निविदा आमंत्रण की स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

3. शेष 02 बस्तियों कुलकर्णी का भट्टा एवं खजराना के लिये विस्तृत सर्वे एवं डीपीआर उपरान्त शेष राशि रूपये 8.00 करोड़ के कार्य कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निगम परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. फा. 1।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 353 दिनांक 30-08-2012

नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों पर 6 युनिपोल पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिये बुलाई गई निविदा में संशोधित शर्तों का अनुमोदन के संबंध में विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 440 दिनांक 28-02-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त राजस्व समिति की अनुशंसानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों पर 6 युनिपोल पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिये संशोधित निविदा शर्तों का अनुमोदन किया जाता है। नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 879-80

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 354 दिनांक 30-08-2012

इन्दौर शहर में 36 स्थानों पर सुलभ कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु निःशुल्क डी.पी.आर. तैयार करने एवं शासन से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30-08-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 446 दिनांक 28-02-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में इन्दौर शहर में विभिन्न स्थानों पर टायलेट कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु संस्था सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन भोपाल से निःशुल्क विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के उपरान्त अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/हुड़कों की ओर प्रेषित करने एवं स्थान के चयन के लिए महापौर एवं प्रभारी जलकार्य को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 891-92

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. फा. 1।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 355 दिनांक 30-08-2012

अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलिया पाला, इन्दौर में म.प्र. राज्य पर्यटन निगम द्वारा पर्यटन विषयक गतिविधियों के चालन के संबंध में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित के साथ किये जाने वाले एम.ओ.यू. पर विचार किया गया। मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 287 दिनांक 08-08-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलियापाला, इन्दौर में पर्यटन गतिविधियां, जैसे फुड कोर्ट, जलकीड़ा, टेन्टेड अकोमडेशन/कॉटेज को समावेशित करते हुए मनोरंजन स्थल के रूप विकसित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित के साथ किये जाने वाले एम.ओ.यू. का अनुमोदन निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में किया जाता है। निगम व जनहित में एम.ओ.यू. में अन्य शर्तों के समावेश/संशोधन हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 356 दिनांक 30.8.12

पुत्र के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती शोभा पति करण चौपड़ा पता-92,जगजीवन राम नगर इंदौर के आवेदन-पत्र एवं महापौर महोदय की अनुशंसा पर विचार किया गया।

2 .विचारोपरान्त आवेदक को रूपये 5000 (अक्षरी रूपये पाँच हजार रूपये) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से लाइफ लाईन हास्पिटल के नाम से देने की कार्योत्तर स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21.8.2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 901-02

प्रतिलिपी:-

आयुक्त

रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक 14.09.2012

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक 357 दिनांक 30.8.12

अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट बाल चैम्पियनशिप में भारतीय टीम की और से चयन होने पर खेल हुतु एशिया टुर पर जाने हेतु आर्थिक सहायता देने के संबंध में आवेदक बंशीलाल चौरसिया के आवेदन पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आवेदक को 10ए000 (अक्षरी रूपये दस हजार) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 " आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय" में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. न. पा. नि.(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 21.08.2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत निगम परिषद् स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री सुबोध चौरसिया के नाम से जारी किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक 903-04
प्रतिलिपी:-

दिनांक 14.09.2012

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 358 दिनांक 30-08-2012

लिम्बोदी तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 05 मस्टर श्रमिकों से कार्य लेने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में मान. महापौरजी द्वारा लिम्बोदी तालाब के निरीक्षण के दौरान तालाब से मछली पकड़ने तालाब की पाल को खोदने व पाल नुकसान पहुचाने आदि की स्थिति पाई गई, तालाब की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, वृक्षारोपण व रख रखाव हेतु 05 मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) 05 मस्टर श्रमिकों से दिनांक 20-09-2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा। झोनल अधिकारी बिलावली झोन के नियंत्रण में मस्टर कर्मी कार्य करेंगे तथा पारिश्रमिक भुगतान संबंधी कार्यवाही झोन द्वारा की जावेंगी।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 909-10

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 359 दिनांक 30-08-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 08 वार्ड क्रमांक 41 प्रेस काम्पलेक्स के पीछे अनुराग नगर स्थित उद्यान क्रमांक 01 की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ-वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सी.ई./उद्यान/119 दिनांक 29-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 14,91,000/- की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 905-06

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 360 दिनांक 30-08-2012

विजय नगर झोनल कार्यालय पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य हेतु कुशल श्रमिक बतौर 29-29 दिवस की स्वीकृति पर रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 695 दिनांक 12-06-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2822 दिनांक 01.08.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में विजय नगर झोनल कार्यालय पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर श्री विरेन्द्र सिंह पिता हरिसिंह चौहान से मस्टर कुशल श्रमिक के रूप में जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर 29-29 दिवस के आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर-2012 तक नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य पर रखने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "अस्थाई श्रमिकों पर व्यय" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.09.2012

क्रमांक 907-08

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 361 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत मेघदूत उपवन, राजवाड़ा उद्यान तथा कृष्णपुरा छत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 63 दिनांक 23-11-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की राय दिनांक 27-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 22 एवं 24 दिनांक 20-05-2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उद्यान विभाग के अन्तर्गत मेघदूत उपवन, राजवाड़ा उद्यान तथा कृष्णपुरा छत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्व ऐजेंसी मेसर्स इन्दौर इन्डस्ट्रीयल सिक्युरिटी सर्विसेस से दर राशि रूपये 3100/- + नियमानुसार सर्विस टेक्स पर 46 सुरक्षा कर्मियों से दिनांक 01-12-2011 से दिनांक 31-01-2012 (दो माह) तक लिये गये कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "मेघदूत उपवन श्रमिक एवं सुरक्षा पर व्यय" मद में से होगा।

3. मेघदूत उपवन, राजवाड़ा उद्यान तथा कृष्णपुरा छत्रियों एवं निगम के विभिन्न विभागों/उद्यानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 32 श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-02-2012 से 31 दिसम्बर-12 तक अथवा सुरक्षा ऐजेंसी नियुक्त होने तक (जो भी पहले हो) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

4. कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 14.9.2012

क्रमांक 913-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक 362 दिनांक 30.08.2012

शिक्षण हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त निम्नांकित आवेदकों को उनके सम्मुख कॉलम 08 में उल्लेखित आर्थिक सहायता/अनुदान की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र.न.पा.नि (मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, इसमें होने वाला कुल व्यय 94,400/- बजट मद क्रमांक.2208010“ आर्थिक सहायता/अनुदान बजट पर व्यय“ में से होगा। सहायता राशि का चेक संबंधित शिक्षण संस्था कॉलम 05 में उल्लेखित के नाम से जारी किया जावे।

अनु. क्र. 1	आवेदक का नाम 2	पता /मोबा. 3	पुत्र/पुत्री का नाम 4	स्कूल का नाम 5	अनुशंसा करने वाले का नाम 6	विद्यालय द्वारा माँगी गई राशी 7	स्वीकृत राशी 8
01	श्री अभीषेक रघुवंशी	112 गोविन्द कॉलोनी इन्दौर 91656-00043	अभीषेक रघुवंशी	माँ सरस्वती शिशु विहार	श्री संतोष गौर पार्श्व वार्ड-19	4,800	2000
02	श्रीमती रितु वारे	26 चौहान नगर इन्दौर	पायल वारे	श्री तिलक नगर उ.मा. विद्यालय एवं बाल मंदिर	स्वयं	6,760	2500
03	कु. गीताजंली परमार	53-ई,राजनगर इंदौर 94245-15615	गीताजंली परमार	श्री क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय	श्रीमती अरुणा शर्मा पार्श्व वार्ड-03	6,050	3000
04	श्रीमती कविता सवनेर	405 पल्हर नगर इंदौर 90095-66745	सेत्विी सवनेर	मेमोरियल मॉडल उ.मा. विद्यालय	श्री गोपाल मालू पार्श्व वार्ड-04	3,800	2000
05	श्रीमती सोनाली शर्मा	545 जनता कॉलोनी इंदौर 98260-55176	हिमांशु शर्मा कामना शर्मा	श्री विजयलक्ष्मी ऐकेडमी हाई स्कूल	श्रीमती सुषमा यादव पार्श्व वार्ड-07	6,840	2500
06	श्रीमती आशा होलकर	298, आग्रकृंज कॉलोनी इंदौर 94254-95363	अमन होलकर	प्रयास हायर सेकेण्डरी स्कूल	श्रीमती अरुणा शर्मा पार्श्व वार्ड-03	4,830	2500
07	श्रीमती सीमा डाबी	197,आग्रकृंज कॉलोनी इंदौर 97559-05880	दीपेश डाबी राज डाबी	डेलियन पब्लिक स्कूल	श्रीमती अरुणा शर्मा पार्श्व वार्ड-03	3,600	1500

08	श्रीमती निशा वेदप्रकाश पाण्डे M.H	1338/26 नंदानगर इंदौर 99267-00428	लक्की पाण्डे	बेबी केयर कान्वेंट स्कूल	श्रीमती शीलाताई घुमनर पार्षद वार्ड क्र.10	3,720	2500
09	श्रीमती मालती तायडे M.H	नर्मदा प्रोजेक्ट स्टोर,आजाद नगर इंदौर 99933-905977	राजरतन तायडे	टेलेंट हायर सेकण्डरी स्कूल	श्री दिलीप कौशल पार्षद वार्ड-49	4,800	2000
10	श्री राजकुमार मरमट	510 पंचम की फेल,इंदौर 98934-48921	जतिन मरमट	न्यू सनराईज कान्वेंट स्कूल	श्रीमती प्रमिला जीनवाल पार्षद वार्ड-28	2,400	1500
11	श्री श्याम यादव	101/1 नयापुरा म.न. 59 एरोड्रम रोड,इंदौर 90980-67843	शिवानी यादव	मेमोरियल मॉडल उ.मा. विद्यालय	श्रीमती सपना चौहान पार्षद वार्ड -05	3,000	2000
12	श्रीमती राजकुमारी लक्ष्मीनारायण बरूआ 16.8.2012	292 पंचम की फेल इंदौर 96916-07854	मोहित बरूआ	श्री हरि शिशु विहार	श्रीमती प्रमिला जीनवाल पार्षद वार्ड-28	2,450	1500

13	श्रीमती मीना पाल	महेशयादव नगर इंदौर 99770-89620	तुषार पाल आर्यन पाल	अल्फा केरियर एकेडमी	श्रीमती विनितिका यादव पार्षद वार्ड-20	5,600	2,000
14	श्री कमल पटेल	145/17 गंगाबाग कॉलोनी इंदौर 96692-20150	मधुसूदन पटेल	गुरुकुल पब्लिक स्कूल	श्री अशोक कुशवाह पार्षद वार्ड-21	5,000	2500
15	श्री सोमनाथ वाघमारे	82/1 महेश यादव नगर इंदौर	वैष्णवी वाघमारे	अल्फा केरियर एकेडमी	श्रीमती विनितिका यादव पार्षद वार्ड-20	3,200	1500
16	श्री शांतिलाल कनारे	259 पिपल्याराव इंदौर 91657-04890	अनिश कनारे अनिकेत कनारे	सन इन्डिया पब्लिक स्कूल	श्री दिलीप सुरागे पार्षद वार्ड-57	6,000	3000
17	श्री कन्हैयालाल निगवाल	260 महादेव नगर नई सब्जी मंडी इंदौर 98267-14740	डाली निंगवाल	सिमरन पब्लिक स्कूल	श्री दिलीप सुरागे पार्षद वार्ड-57	4,000	2000
18	श्रीमती देवबाई रमेश पटेल	255 ब्रम्हबाग कॉलोनी इंदौर 99260-83994	शिवानी पटेल	श्री संभाजी स्मृति हाई स्कूल	श्री राजेन्द्र रघुवंशी पार्षद वार्ड-17	3,690	2000
19	श्री नारायण गुप्ता	7 रतनबाग कॉलोनी इन्दौर 96693-68066	प्रीति गुप्ता श्वेता गुप्ता	शारदा कन्या उ.मा. विद्यालय	श्रीमती अरुणा शर्मा पार्षद वार्ड-03	1,700	1000
20	श्री मसुद अली	22 अहिल्या पल्टन इंदौर 97700-89150	हैदर बली	श्री क्लायथ मार्केट वैष्णव हा.से. स्कूल	श्री मो.अनवर कादरी पार्षद वार्ड-15	6,700	3000
21	श्री अशोक चौरसिया	134 सजंय गोंधी नगर इंदौर 96694-89942	प्रिया चौरसिया	न्यु ओम विद्या मंदिर स्कूल	श्री मुन्नालाल यादव पार्षद वार्ड-39	3,300	2000
22	श्री अरुण चौरसिया	48.काछी मोहल्ला इंदौर	तुषार चौरसिया	सेन्ट्रल पाईट हाई स्कूल	स्वयं	3,000	2000
23	श्रीमती प्रिया हंसपाल	702, जनता क्वार्टर नंदानगर इंदौर 97545-22272	दिनेश हंसपाल	केरला समाज पब्लिक स्कूल	श्रीमती शिलाताई घुमनर पार्षद वार्ड-32	5,750	2500
24	श्रीमती रेखा लोधी	110 कृष्णा नगर मुसाखेडी 81032-75743	ओमप्रकाश लोधी	सुपर पब्लिक स्कूल	श्रीमती चंदा बघेल पार्षद वार्ड-50	6,100	3000
25	श्री किशोर कुमार कोष्ठी	83, गुरु नगर मालवीय नगर के पास इंदौर 78697-74214	सौरभ कोष्ठी शिवानी कोष्ठी सपना कोष्ठी	इंदौर ग्लोरियश हा.से. स्कूल	श्रीमती लक्ष्मी उज्जैनी पार्षद वार्ड-41	7,560	4000
26	श्री रमेश कुमावत	आर्दश इंदिरा नगर इंदौर 99771-59823	टीना कुमावत	सिटी पब्लिक स्कूल	श्रीमती राधा प्रजापत पार्षद वार्ड-06	3,000	2000
27	श्री चेतन जरिया	104 सबनीस बाग इंदौर 98939-66477	मयंक जरिया	श्री आर.आर. एम.बी. गुजराती उ.मा. विद्यालय	श्रीमती अर्चना चितले पार्षद वार्ड-14	4,870	2500

28	श्रीमती ममता चौहान	254 भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर 88270-99505	जय चौहान	प्रयास हायर सेकण्डरी स्कूल	स्वयं	5,500	2000
29	श्री राजू अमरलाल वर्मा	96697-89668	राजू वर्मा	शशि किरण विद्या विहार	सुश्री प्रीति करोतिया पार्शद वार्ड-22	3,540	2000
30	श्री प्रदीप कौर	अमर पैलेस राजीव गांधी चौराहा इंदौर 81095-86003	मन्जीत सिंग सैनी	सिमरन पब्लिक स्कूल	स्वयं	6,000	3000
31	श्रीमती अनिता चौहान	माता गुजरी स्कूल केम्पस भंवरकुआ चौराहा, इंदौर	पियुष चौहान	सन इन्डिया पब्लिक स्कूल	स्वयं	5,400	2500
32	श्रीमती अनिता चौहान	माता गुजरी स्कूल केम्पस भंवरकुआ चौराहा, इंदौर	विनायक चौहान	सन इन्डिया पब्लिक स्कूल	स्वयं	5,400	2000
33	श्रीमती माना स्व. जगदीश यादव	325, हम्माल कॉलोनी इंदौर 99773-34670	केशव यादव	ब्राइट फ्यूचर एकेडमी	श्री राजेन्द्र रघुवंशी पार्शद वार्ड-17	3,160	2000
34	श्री अब्दुल गफफार	463/5 चन्दन नगर इंदौर 90983-59551	साविया अब्दुल आयशा अब्दुल	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हाई स्कूल	श्रीमती फतिमा खान पार्शद वार्ड-02	3,800	2000
35	श्री मोहम्मद असलम	6/13 चन्दन नगर इंदौर 98277-41330	अशरफ मोहम्मद मेहराज मोहम्मद	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हाई स्कूल	श्रीमती फतिमा खान पार्शद वार्ड-02	2,820	1500
36	श्री साबीर भाई	473/6 चन्दन नगर इंदौर 98276-35639	शदाब एहमद	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हाई स्कूल	श्रीमती फतिमा बी रफिक खान	2,600	1500
37	श्री गौरव प्रमोद भुस्खेडे	54/2 मोती तबेला इंदौर 95758-11977	गौरव भुस्खेडे	श्री माहेश्वरी उ.मा. विद्यालय	सुश्री विनिता धर्म पार्शद वार्ड-11	4,700	3000
38	नसिम बी पति मजीद	704-जी चन्दन नगर इंदौर	शोहेल पिता मजीद	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हाई स्कूल	श्रीमती फतिमा खान पार्शद वार्ड-02	1,200	1000
39	श्रीमती ममता मीणा	924, बजरंग नगर 83457-33763	सीया मीणा	श्री साई विद्या मंदिर	श्रीमती निशा देवलिया पार्शद वार्ड-30	2,175	1500
40	श्री रविन्द्र पंडित	973, स्कीम नं. 51 99072-63290अ	हिमांशु पंडित	डेफोडिल हाईस्कूल	श्री अश्विन शुक्ल पार्शद वार्ड-18	3,000	1500
41	श्री नंदकिशोर चौधरी	198, गोविंद नगर खारचा 99770-57314	यमिका चौधरी	ब्लासम एकेडमी	सुश्री प्रीति करोतिया पार्शद वार्ड 22	3,160	2000
42	श्री महेश	स्कीम नं.71 94066-17112	वेष्णवी हल्दुनिया	श्री वेष्णव कन्या विद्यालय	श्रीमती मेघा विस्पुते पार्शद वार्ड-68 परमारजी	5,250	2500
43	कु. अश्विन जोया	5-6 मल्हारगंज 97531-87305	अश्विन जोया प्रिया जोया	श्री क्लाथ मार्केट कन्या विद्यालय	श्रीमती तुनजा खण्डेलवाल पार्शद वार्ड-08	5,300	2500

44	श्री दिलीप पाईकराव	राम अवतार कुष्ठ आश्रम भागीरथपुरा	निलेश	लिटिल मुन हाईस्कूल	स्वयं-विकलांग	1,450	1400
----	--------------------	--	-------	-----------------------	---------------	-------	------

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक 915-16

दिनांक 25.09.2012

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 363 दिनांक 30-08-2012

इंदौर स्थित स्वदेशी मिल की 15.32 एकड़ भूमि के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गयी। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 7567/सीई लीज ,दिनांक 26.03.2012 तथा मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 11, दिनांक 16.4.2012 एवं राजस्व न्यायालय,अपर संभागायुक्त द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2012 का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण में आयुक्त द्वारा राजस्व न्यायालय,अपर संभागायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 प्रस्तुत किया, जिसका वाचन सचिव द्वारा किया गया। साथ ही शासन की ओर प्रेषित पत्र क्रमांक 7567, दिनांक 26.03.2012 द्वारा प्रकरण की वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया गया।

3 विचारोपरांत चर्चा के प्रकाश में अपर आयुक्त ,राजस्व न्यायालय,अपर संभागायुक्त द्वारा पारित निर्णय एवं मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 11, दिनांक 16.4.2012 द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रकरण में शासन को पुनःसम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे तथा प्रकरण में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर प्रस्तुत की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 917-18

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 364 दिनांक 30-08-2012

शहर के विभिन्न स्थानों/उद्यानों में लगी लाईटों तथा सैन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था का मेन्टेनेन्स संबंधी कार्य करना (वार्षिक दर निर्धारण 2012-13) के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 966 दिनांक 25-07-2012 पर जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु (वार्षिक दर निर्धारण 2012-13) दिनांक 20-04-2012 को प्राप्त 05 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. पायोनियर रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्तुत (यू.ए.डी. डी.एस.ओ.आर./1.6.11 एवं वर्तमान बाजार भाव दर से) 2 प्रतिशत कम पर कार्य कराने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 919-922

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 365 दिनांक 30-08-2012

उद्यान विभाग के अंतर्गत नेहरू स्टेडियम हरा-भरा करने हेतु 10 श्रमिकों को कार्य पर रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 182 दिनांक 06-07-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2825 दिनांक 01.08.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में उद्यान विभाग के अंतर्गत नेहरू स्टेडियम ग्राउंड को लशग्रीन करने एवं स्टेडियम को हरा-भरा करने के कार्यों दृष्टिगत 10 मस्टर श्रमिकों से दो माह के लिये नितान्त अस्थाई रूप से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक 29-29 दिवस की दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य पर रखने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "अस्थाई श्रमिकों पर व्यय" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक.25.09.2012

क्रमांक 941-42

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 366 दिनांक 30-08-2012

जे.एन.एन.यू.आर.एम. (एस.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत कचरा ट्रांसर स्टेशन का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 923 दिनांक 23-08-2012 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 124 दिनांक 28-08-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 839 दिनांक 11-08-2009 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जे.एन.एन.यू.आर.एम. (एस.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत कचरा ट्रांसर स्टेशन का निर्माण हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 839 दिनांक 11-08-2009 द्वारा पूर्व स्वीकृत निविदा निरस्त की जाती है।

3. इन्दौर जिला राऊ तहसील में स्थित (खसरा नंबर 1070, जिसका क्षेत्रफल 3.739 हेक्टेयर) निगम को आवंटित राऊ स्थित भूमि पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाये जाने हेतु नये एस.ओ.आर.पर बनाए गए प्राक्कलन राशि रुपये 2.38 करोड़ की तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 929-30

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक ५८ छव. 4421/09 में पारित आदेश अनुसार मस्टर उपयंत्रियों का नियमितीकरण एवं निगम में कार्यरत तकनीकी योग्यताधारी कर्मचारियों को उपयंत्रि के पद पर पदोन्नत करने हेतु नियमों में संशोधन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2401 दिनांक 30-08-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 255 दिनांक 28-07-2012 का अवलोकन किया गया।

2. उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, के पत्र क्रमांक 2854/3053/12/18 भोपाल, दिनांक 14-08-2012 अनुसार तृतीय श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही नगर निगमों द्वारा स्वयं अपने स्तर से की जानी है। उपयंत्रि का पद तृतीय श्रेणी का है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर द्वारा दिये गये आदेश का पालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3. शासन के उपरोक्त पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जिन परिपत्रों/निर्देशों का उल्लेख किया गया है उन निर्देशों/परिपत्रों के पालन में कुशल श्रमिकों (उपयंत्रियों) का नियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है क्योंकि शासन के उपरोक्त परिपत्रों में दिनांक 10-04-2006 की स्थिति में जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि सेवा में रहते हुए पूर्ण कर ली हो ऐसे मस्टर कर्मचारियों का ही नियमितीकरण किया जा सकता है। इसके पश्चात के नहीं, जबकि उपरोक्त मस्टर उपयंत्रि वर्ष 1995 से वर्ष 2001 के मध्य की अवधि में मस्टर पर नियुक्त किये गये हैं। इन कर्मचारियों को मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर के निर्देशों के पालन में नियमित करने के लिए नीतिगत निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जाना है।

4. आयुक्त के पत्र में मस्टर कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के साथ-साथ नगर निगम, इन्दौर में तकनीकी योग्यताधारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपयंत्रि के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्त) नियम-2000 की अनुसूची-एक में लोक निर्माण विभाग के द्वारा विहित मापदण्ड अनुसार के स्थान पर नगर निगम, इन्दौर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी योग्यताधारी कर्मचारियों से भरे जाने संबंधी संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन की ओर भेजने के लिए स्वीकृति चाही गई है।

5. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम में कार्यरत 18 मस्टर कुशल श्रमिकों (उपयंत्रियों) को नियमितीकरण करने की अनुशंसा सहित प्रकरण शासन की ओर भेजा जावे। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार नियमितीकरण करने की कार्यवाही की जावे।

6. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्त) नियम-2000 की अनुसूची-एक में उपयंत्रि के पद पर पदोन्नति के लिए "लोक निर्माण विभाग के द्वारा विहित मापदण्ड अनुसार के स्थान पर" नगर निगम, इन्दौर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी योग्यताधारी कर्मचारियों से पदोन्नति करने संबंधी संशोधन हेतु अनुशंसा भी की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 368 दिनांक 30-08-2012

शहर के नदी नालों पर पुल/पुलियाओं के निर्माण में सुपरविजन कंसलटेंट की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 442/सी.ई./योजना दिनांक 08-08-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के नदी नालों पर पुल/पुलियाओं के निर्माण में सुपरविजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से दिनांक 28-05-12 को प्राप्त 04 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति हेतु निविदाओं में टेक्निकल एडवाइजरी एवं मॉनीटरिंग कमेटी की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा मेसर्स श्रीखण्डे, प्रा. लि. मुम्बई द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा दर राशि रुपये 4,05,000/- की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 369 दिनांक 30-08-2012

सार्वजनिक कुओं की सफाई संबंधित कार्य के लिए वार्षिक दर (वर्ष 2012-13) के निर्धारण के संबंध में आयुक्त का पत्र 290 दिनांक 24.5.12 पर जलकार्य समिति की राय क्रमांक 02 दिनांक 26.05.12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 1719 दिनांक 13.01.09 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सार्वजनिक कुओं की सफाई संबंधी कार्य ग्रीष्म ऋतु में शहर के चिन्हित जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराने हेतु कार्य आवश्यकता व औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए मेयर-इन-कौंसिल क्रमांक 1791 दिनांक 13.01.09 द्वारा स्वीकृत इस शर्तों पर दी जाती है कि शीघ्र ही दर निर्धारण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 923-24

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 370 दिनांक 30-08-2012

शहर में हो रहे विभिन्न विकास कार्य जैसे केबल बिछाना/गैस पाईप लाईन डालना (ट्रेचलेस विधि द्वारा) रोड़ क्रासिंग कार्य/पुरानी पाईप लाईन के स्थान पर नये पाइप बिछाने आदि एवं अन्य निर्माण कार्यो के दौरान क्षतिग्रस्त पाईपों में ड्रेनेज के ओव्हर क्लो पानी के प्रवेश से उत्पन्न तथा अन्य कारणों से प्राप्त गंदे पानी की शिकायत के निराकारण हेतु वार्षिक दरों के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 2503 दिनांक 7.5.12 पर विचार किया गया।

2.विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु वार्षिक दरों के निर्धारण के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 937-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 371 दिनांक 30-08-2012

निगम सीमा में स्थित निजी संस्थानों दुकानों से पिज्ञापन कर वसूले जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 845 दिनांक 28.7.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई वैधानिक स्थिति के प्रकाश में विधिक राय के साथ प्रकरण प्रस्तुत करें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 931-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 372 दिनांक 30-08-2012

नगर पालिक निगम,इन्दौर में डबल इन्ट्री अकाउण्टिंग की हेण्ड होल्डिंग अंतर्गत वर्ष 2011-12 की बैलेंस शीट तैयार कराने हेतु शॉट टर्म टेण्डर आमंत्रित करने की स्वीकृति के आयुक्त का पत्र क्रमांक 408/डी.एफ.आय.डी. /12 दिनांक 30.08.12 पर विचार किया गया।

2.विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु टेण्डर जारी करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 933-34

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश की घोषणा अनुसार ग्राम सुकलिया (कुर्मेडी) में प्रस्तावित बस टर्मिनल की योजना को इविप्रा द्वारा निर्मित करने के पश्चात, संचालन एवं संधारण नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा किए जाने की सहमति भेजने के संबंध में मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4917 दिनांक 06 अगस्त 2012 पर आयुक्त की टीप दिनांक 23.08.2012 पर विचार किया गया।

3- विचारोपरान्त मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर के अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लेखित अनुसार माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक 0442 इंदौर दिनांक 6 जनवरी 2010 के अनुसार प्राधिकारी की योजना क्रमांक 139 एवं 16-ए के अन्तर्गत ग्राम सुकलिया में एम.आर.-10 पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है इंदौर विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित भूमि अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड (आय.एस.बी.टी) हेतु आरक्षित है, प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकारी द्वारा 8.6 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण कर लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 10 नवम्बर 2011 में यह निर्णय लिया गया था कि अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड का निर्माण करने के पूर्व नगर पालिक निगम इंदौर से परस्पर करार कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि बस टर्मिनल का संचालन एवं संधारण भविष्य में नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा किया जावेगा। दिनांक 31.7.2012 को कलेक्टर, इंदौर की अध्यक्षता में आयोजित बस स्टैण्ड निगरानी समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा भी की जा चुकी है, उक्त अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड (आय.एस.बी.टी.) का इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण करने के पश्चात उसके संचालन एवं संधारण हेतु सहमति चाही गई है। मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप (आय.एस.बी.टी.) का निर्माण कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया जा सके।

3. विचारोपरान्त मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर के अर्द्धशासकीय पत्र दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में योजना क्रमांक 139 एवं 169-ए के अन्तर्गत ग्राम सुकलिया में एम.आर.-10 पर इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा इंदौर विकास 2021 अनुसार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निगम द्वारा संचालन एवं संधारण की सहमति इस शर्त पर दी जाती है कि बस स्टैण्ड में निर्मित व्यवसायिक क्षेत्र के विक्रय से होने वाले लाभ राशि नगर पालिक निगम को उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त के अतिरिक्त निगम हित में इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर से किये जाने वाले अनुबंध में अन्य शर्तों के समावेश के लिये आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इंदौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 925-28

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 374 दिनांक 30-08-2012

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रिय कार्यालय पंचदीप भवन एवं रिहायसी क्वार्टर पंचदीप निकुंज, नंदानगर, इन्दौर के लिये 4" इंच पाईप लाईन के जल संयोजन स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्र. 3221 दिनांक 08.06.2012 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 14 दिनांक 14.06.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रिय कार्यालय पंचदीप भवन एवं रिहायसी क्वार्टर पंचदीप निकुंज नंदानगर इन्दौर के लिये 4 " इंच पाईप लाईन के जल संयोजन कार्य कुल राशि रु. 3,53,532/- डिपॉजिट मद में जमा कराने के पश्चात करने की स्वीकृति दी जाती है। जल संयोजन पश्चात मीटर स्थापित कर स्वीकृत प्रचलित दर से जलकर लिया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 935-36

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 375 दिनांक 30-08-2012

निगम स्वामित्व के मार्केटों की छत पर विज्ञापन बोर्ड की पूर्व निविदा अवधि समाप्त हो जाने से पुनः निविदा आमंत्रित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक दिनांक 30.8.2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन कौंसिल क्रमांक 1058 दिनांक 24.03.2007 एवं संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 28.04.2008 का अवलोकन किया गया।

2.विचारोपरांत आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम स्वामित्व के निम्नांकित मार्केटों की छत पर विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

अनु.क्र.	स्थान का नाम	बोर्ड स्थान	साईज
01	शास्त्री मार्केट की छत पर	4 बोर्ड	30 × 20
02	महु नाका निगम मार्केट की छत पर	5बोर्ड	30 × 20
03	हेमिल्टन रोड़ निगम मार्केट की छत पर छत पर	2 बोर्ड	30 × 15
04	रिक्कर साईड रोड निगम मार्केट की छत पर	3 बोर्ड	30 × 20
05	गंगवाल बस स्टैण्ड	2 बोर्ड	20 × 10
06	सुभाष नगर निगम मार्केट	4 बोर्ड	30 × 20

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 25.09.2012

क्रमांक 945-46

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

